न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/111
मुकदमा नम्बर 23/2025 दर्ज दिनांक– 10.03.2025

1. अम्बालाल पुत्र उदाराम
2. तारामणी पुत्र उदाराम
3. निर्मल पुत्र उदाराम
4. मनफूल पुत्र उदाराम
5. राजेन्द्र पुत्र उदाराम, जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी ,तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री शिशुपाल सिंह
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 16.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी की भूमि खाता सं. 225 में अवस्थित भूमि खसरा नं. 64 रकबा 0.33 है, खसरा नं. 65 रकबा 0.45 है0,खसरा नं. 67 रकबा 0.45 है0,खसरा नं. 84 रकबा 0.14 है0, खसर ानं. 85 रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 87 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 88 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 89 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 91 रकबा 0.93 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 3.28 है0 में प्रार्थीगण के पिता का नाम उदाराम पुत्र हर्षाराम के स्थान पर उदाराम पुत्र हरदेवाराम तथा प्रार्थीगण की दादी का नाम पतासी स्त्री हर्षा के स्थान पर सोनी देवी स्त्री हरदेवाराम दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8031 दिनांक 27.05.2025 पेश हुई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8031 दिनांक 27.05.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी की भूमि खाता सं. 225 में अवस्थित भूमि खसरा नं. 64 रकबा 0.33 है, खसरा नं. 65 रकबा 0.45 है0,खसरा नं. 67 रकबा 0.45 है0,खसरा नं. 84 रकबा 0.14 है0, खसरानं. 85 रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 87 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 88 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 89 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 91 रकबा 0.93 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 3.28 है0 में प्रार्थीगण के पिता का नाम उदाराम पुत्र हर्षाराम के स्थान पर उदाराम पुत्र हरदेवाराम तथा प्रार्थीगण की दादी का नाम पतासी स्त्री हर्षा के स्थान पर सोनी देवी स्त्री हरदेवाराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8031 दिनांक 27.05.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Email-nawalgarhbar@gmail.com

2

5/6/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

दिनांक 27/5/2025

कमांक /भू अ /2025/ 8031

प्रेषिति : – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय : –उनवानी प्रकरण अम्बालाल बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 23/2025 अ.धारा 136 में तथ्यात्मक रिपॅार्ट भिजवाने बाबत।

Rev 28.5.25

महोदय

R 584 28.5.25

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण अम्बालाल बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 23/2025 अ.धारा 136 में तथ्यात्मक रिपॅार्ट पटवारी हल्का ढाणियां नवलगढ से प्राप्त हुई है । जो मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न : – मूल रिपॅार्ट

तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ

तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ

जाँच -रिपॉर्ट

आज दिनांक 02/05/25 को श्रीमान तहसीलदार साहब नवलगढ़ के आदेश क्रमांक/भू.अ/2025/680/दिनांक 24/4/2025 की पालना मे प०म० ढाणिया नवलगढ़ के ग्राम ढाका की ढाणी में मजमे आम पहुँचा वहा पर ग्राम ढाका की ढाणी के मौजुद मौतबरानो से खसरा न० 64, 65, 84, 85, 88, 89, 91 के राजस्व रैकर्ड मे खातेदार उदाराम पुत्र हर्षाराम हिस्सा $\frac{1}{16}$ व पतासी पत्नि हर्षा हिस्सा $\frac{1}{16}$ जाति जाट सा० देह खातेदार दर्ज है।

जाँच वारिसान एवं फर्द रिपॉर्ट निम्न प्रकार है

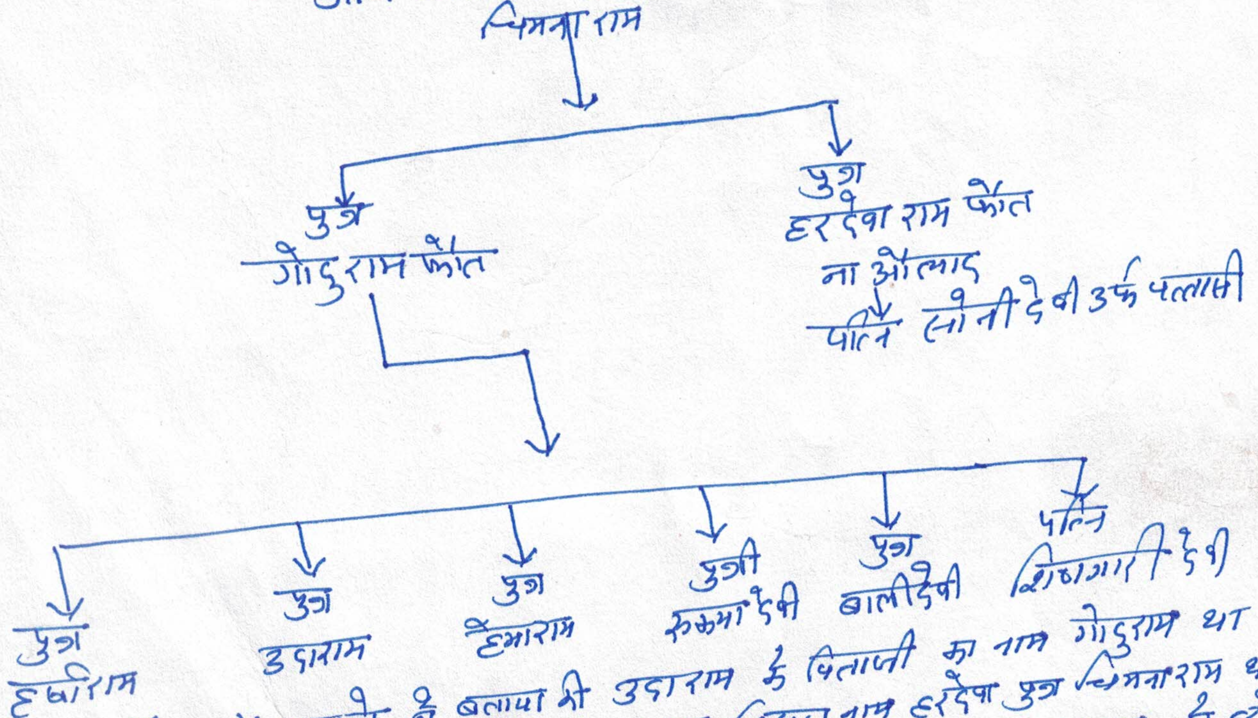

ग्राम के मौजुद मौतबरानो ने बताया की उदाराम के पिताजी का नाम गोदुराम था गोदुराम पुत्र चिमनाराम दो भाई होना बताया गया जिसका नाम हरदेवा पुत्र चिमनाराम था हरदेवा की पत्नि का नाम सोनीदेवी उर्फ पतासी देवी बताया गया व उदाराम को हरदेवा ने गोद लेना बताया गया जो गोदनामा संलग्न है व रजिस्टर नही है। मौजुद मौतबरानी के अनुसार उदाराम दत्तक पुत्र हरदेवाराम व सोनी देवी उर्फ पतासी पत्नि हरदेवा किया जाना उचित उचित है। ग्राम के मौजुद मौतबरानो को मौका फर्द पढ़कर सुनाया गया व अंगुठा हस्ताक्षर करवाये गये।

पटवारी ढाणिया
नवलगढ़

(1) हेमाराम पुत्र गोदुराम - हेमाराम
(2) बिरजुसिंह पुत्र पन्नाराम - बिरजू सिंह
(3) गिरधारी पुत्र मेघाराम - गिरधारी [illegible]
(4) [illegible] पुत्र हीरालाल - [illegible]